

## नागरिक अधिकार पत्र

### हमारा ध्येय :

- अपराध पर नियंत्रण।
- कानून एवं व्यवस्था का संधारण।
- सामाजिक सौहार्द एवं शान्ति

### हमारे मूल्य :

- सेवार्थ कटिबद्धता।
- ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा।
- निष्पक्षता एवं पारदर्शिता।
- संवेदनशीलता एवं सद्व्यवहार।
- अनुशासनबद्ध व अन्योन्याश्रित कार्य संस्कृति।

### हमारी प्राथमिकताएँ :

- आम नागरिक के प्रति जवाबदेही।
- कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन व अनुपालना।
- समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं व बालक-बालिकाओं को विशेष संरक्षण।
- जन साधारण के साथ मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सहयोग।
- कानून के अन्तर्गत संस्थओं के प्राधिकारों की सुरक्षा।
- कानून के माध्यम से समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण स्थापित करना।
- जाति एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करना।
- शान्ति एवं सुरक्षा का विश्वसनीय वातावरण बनाना।
- संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के उपयोग हेतु भय मुक्त वातावरण स्थापित करना।
- मानव अधिकारों की रक्षा करना।

### हमारी कार्य पद्धति :

संविधान में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिकों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करना एवं जन सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करना व राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को कानूनों का पालन करते हुए बनाये रखना, ताकि समाज में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में स्थापित हो सके।

## हमारी प्रतिबद्धताएँ :

- जन सेवा ।
- संवेदनशीलता एवं जवाबदेही ।
- समयबद्धता अर्थात् त्वरित गति से अपराधों का अनुसंधान कर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा अभाव अभियोग का शीघ्र निस्तारण करना ।
- जनता को यह आभास दिलाना कि पुलिस विभाग संविधान और कानून के प्रति ही उत्तरदायी है ।
- आम जनता को अपराधी तंत्र एवं आपराधिक प्रवृत्तियों से सचेत करना ।
- दलित एवं शोषित वर्ग तथा महिलाओं को उत्पीड़न करने सम्बन्धी कानूनों के महत्व को जन सम्पर्क के माध्यम से जनता को अवगत कराना ।
- अपराध के कारणों व परिस्थितियों का विश्लेषण कर जन सहयोग के माध्यम से उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना ।
- पुलिस कर्मियों द्वारा अनुशासन, निष्ठा तथा ईमानदारी से आचरण करना ।

## हमारी नागरिकों से अपेक्षाएँ :

- असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में पुलिस का सकारात्मक सहयोग ।
- कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग ।
- आसूचना का आदान-प्रदान ।
- कानून एवं नियमों का स्वैच्छिक पालना ।
- कानून एवं संविधान में आस्था ।

## अपराध पंजीबद्ध कराने सम्बन्धी नागरिकों के अधिकार :

- प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसके साथ संज्ञेय अपराध घटित होने पर वह सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है ।
- रिपोर्ट कर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दिया जाना आवश्यक है ।
- मुस्तगीस (रिपोर्ट कर्ता) अभियोग की अनुसंधान सम्बन्धी प्रगति सम्बन्धित थाना एवं क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से मालूम कर सकता है ।

## शिकायतों की सूचना एवं निवारण सम्बन्धी :

- प्रत्येक नागरिक उनके स्वयं के साथ या अन्य किसी नागरिक के साथ घटित होने वाली अपराधिक घटना की सूचना, अपराधियों एवं अपराधिक गतिविधियों की सूचना एवं पुलिस विभाग की अनियतिताओं की सूचना सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज महानिरीक्षक पुलिस एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को निःसंकोच होकर किसी भी माध्यम से भेज सकता है। आवश्यकता होने पर प्राप्त सूचना को गोपनीय रखकर भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

## पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार :

- संज्ञेय अभियोगों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना तत्काल उनके परिवारजन को दिया जाना आवश्यक है।
- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को 24 घंटों के भीतर सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है।

## सड़क एवं यातायात नियमों के पालन सम्बन्धी नागरिकों के अधिकार :

- नागरिकों एवं सड़क उपभोक्ताओं की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाना यातायात पुलिस का कार्य है।
- सार्वजनिक सड़कों पर उचित यातायात प्रबन्ध करना, चिन्हित जगहों पर वाहनों की पार्किंग कराना एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना यातायात पुलिस का कार्य है।
- प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करते समय कोई भी कठिनाई आने पर यातायात या सिविल पुलिस से आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे।

## महिलाओं के अधिकार :

- महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कोई भी रिपोर्ट थाने में प्राप्त होने पर उसका तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है।
- महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो पुलिस अधिकारियों को उनके घर जाकर पूछताछ करना आवश्यक है। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी महिला अपराधी को थाने पर पूछताछ हेतु बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान सम्बन्धित महिला परिवारजन को उसके साथ रखा जाना चाहिए।
- किसी महिला अपराधी के विरुद्ध अनुसंधान से अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूदा रखा जाना चाहिए।

## बालकों के अधिकार :

- गिरफ्तार बच्चों के प्रति पुलिस “सामाजिक जाँचकर्ता” की भूमिका अपनाकर एवं उनके प्रति सृजनात्मक व्यवहार कर उन्हें सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।
- बाल न्याय कानून, 1986 के अन्तर्गत किसी बाल अपराधी को गिरफ्तार करने या उसे पुलिस देखरेख में लेने के लिए विशेष प्रावधान किये हुए हैं, जिनकी पालना करना पुलिस का दायित्व है।
- बच्चों को हवालात में वयस्कों से अलग रखा जाना चाहिए। उन्हें यातना नहीं दी जानी चाहिए और उनके साथ क्रूरतापूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना तथा उनमें सम्मान एवं योग्यता का भाव पैदा करना पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है।

## नागरिकों के पुलिस को सूचना एवं सहयोग देने सम्बन्धी कर्तव्य:

- प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी अपराध, सामाजिक शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को देवे।
- सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में पहुँचाना एवं पुलिस को सूचना देना नागरिक दायित्व है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
- अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है, उनके सम्बन्ध में सही गवाही देना उनका कर्तव्य है।

## सूचना का अधिकार :

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए महानिरीक्षक पुलिस अपराध, राजस्थान, जयपुर को आवेदन किया जा सकता है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध, राजस्थान, जयपुर पुलिस मुख्यालय के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। समस्त रेंजों एवं जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपीलीय अधिकारी हैं।

